संख्या–1016/XLI-1/2011–92/10

89

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
श्रीनगर (गढ़वाल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 15 ~~सितम्बर~~ नवम्बर, 2011

विषयः– **उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की के अन्तर्गत संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण, अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग–1 के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/XI/XXI/201–सी0एक्स0 दिनांक 22 सितम्बर, 2011 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–2857/6(62)/मा0सं0वि0/2001 दिनांक 15/23 अक्टूबर, 2001 एवं शासनादेश संख्या–वीआई0पी0–2/प्रा0शि0/2004 दिनांक 24 अप्रैल, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की के अन्तर्गत **"संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण, अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ"** की स्थापना देहरादून में किये जाने के साथ–साथ निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

1. उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की कार्यालय द्वारा डिप्लोमा परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों को तैयार करना, डिप्लोमा परीक्षाओं का आयोजन कराना, परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए छात्रों को अनुमति प्रदान करना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराना, निर्धारित पाठ्यचर्या को लागू करना, डिप्लोमा परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित करना, डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र प्रदान करना, निजी संस्थाओं को सम्बद्वता प्रदान करना, सम्बद्वता हेतु शर्तें/मानक निर्धारित करना एवं उनका निरीक्षण करना, मानकों को पूर्ण न करने वाली संस्थाओं की सम्बद्वता को निरस्त करना, नियमों/मानकों के उल्लंघन पर किसी भी छात्र/संस्थान का परीक्षाफल रोकना, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करना एवं उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 2003 के अनुपालन हेतु अन्य समस्त संबंधित कार्य सम्पादित किया जायेगा।

2. संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण, अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, देहरादून कार्यालय द्वारा पालिटेक्निक संस्थाओं हेतु जीप परीक्षा का आयोजन, उसका परीक्षाफल घोषित करना, प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित कराना, वाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, इन परीक्षाओं हेतु शुल्क निर्धारण तथा नियमानुसार लेखा एवं

C:\Users\hcl\Desktop\Director Technical\Letter Director.doc. 91

खातों का रख रखाव करना, पाठ्यचर्या का निर्धारण एवं उसको अद्यावधिक रूप से विकसित करना, कार्यशालाओं/प्रयोगशालाओं को अद्यावधिक रूप से विकसित करना, शिक्षकों एवं संस्थाध्यक्षों को अद्यावधिक पाठ्यचर्या एवं प्रयोगशालाओं का प्रशिक्षण प्रदान करना, अद्यावधिक अध्यापन पद्धति/संसाधनों को विकसित करना, शिक्षकों तथा संस्थाध्यक्षों को उसका प्रशिक्षण दिलाना, प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना, तकनीकी शिक्षा के समग्र विकास हेतु शोध, अनुसंधान एवं मूल्यांकन करना, राज्य के बाहर स्थापित शोध व अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय एवं आदान–प्रदान करना तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करने का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

3. शासनादेश सं0–वी0आई0पी0–2/प्रा0शि0/2004 दिनांक 24 अप्रैल, 2004 के द्वारा उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की हेतु सृजित कुल 45 पदों को निम्नवत् विभाजित किया जाता है:–

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूडकी	संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण, अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ
1	सचिव	37400–67000+8700	01	0
2	संयुक्त सचिव	15600–39100+7600	0	01
3	उप सचिव	15600–39100+6600	01	01
4	सहायक सचिव	15600–39100+5400	01	01
5	लेखाधिकारी	15600–39100+5400	01	0
6	कार्यालय अधीक्षक (प्रशासनिक अधिकारी)	9300–34800+4600	01	0
7	आशुलिपिक/कंसोल आपरेटर	9300–34800+4200	02	01
8	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	9300–34800+4200	02	02
9	वरिष्ठ सहायक/ सह कन्सोल आपरेटर	9300–34800+4200	01	01
10	वरिष्ठ सम्प्रेक्षक	9300–34800+4200	01	0
11	लेखाकार	9300–34800+4200	01	01
12	लिपिक/बिल कलर्क/ डाटा एंट्री आपरेटर	5200–20200+1900	06	04
13	वाहन चालक	5200–20200+1900	01	03
14	कैशियर/डाटा एंट्री आपरेटर	5200–20200+1900	01	0
15	चतुर्थ श्रेणी	4440–7440+1300	04	04
16	चौकीदार	4440–7440+1300	01	01
		योग	25	20

3— उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2003 में सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव एवं सहायक सचिव के पदों को किसी उपयुक्त अभ्यर्थी से खुले चयन के आधार पर अथवा प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत् समान पदक्रम और समकक्ष वेतनमान के अधिकारियों से स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। जो यथावत् रहेगी।

4— उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक — उपरोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रभारी सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग—1 को उनके पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2011 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
7. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, उत्तराखण्ड।
9. एनआईसी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।